न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 980/2023

अनवान : —

1. बालुराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. राजेराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. गुडी पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. मीतो उर्फ सुखमा पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. श्योकोरी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. पृथ्वीराज पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
8. विनोद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
9. भागा देवी पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
10. रामेती पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
11. धर्मा पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
12. झिमा उर्फ बिमला पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
13. रामप्यारी उर्फ सुमन पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः—29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि मृतक भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वादी के सगे भाई भादरराम पुत्र बेगाराम का लावल्द दिनांक 03.08.2022 को स्वर्गवास हो चुका है भादरराम के स्वर्गवास के बाद उसके वारिस वादी व प्रतिवादीगण है तथा मृतक भादरराम पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 [illegible] से 1/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिना [illegible] दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा डुमासर खाता संख्या 169/154, मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम, वारिस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के भाई भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज है वादी के भाई भादर पुत्र बेगाराम का देहान्त हो चुका है जो की लावल्द फौत हो चुका है, जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 169/154 की कुल 7.4760 हैक्टर भूमि मृतक भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी के भाई भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज है भादर पुत्र बेगाराम लावल्द फौत हो चुका है जिसके देहान्त के बाद भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 अपने नाम दर्ज करवा पाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के अधिकारी है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 द्वारा स्वीकार किया गया है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा भादर पुत्र बेगाराम के अविवाहित फौत बाबत शपथ पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि मृतक भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादर पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 980 / 2022
अनवान : –

1. बालुराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. राजेराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. गुडी पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. मीतो उर्फ सुखमा पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. श्योकोरी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. पृथ्वीराज पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
8. विनोद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
9. भागा देवी पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
10. रामेती पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
11. धर्मा पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
12. झिमा उर्फ बिमला पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
13. रामप्यारी उर्फ सुमन पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 980 सन 2022 निर्णय दिनांक – 29/2/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री चन्द्रशेखर तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 169 / 154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि मृतक भादर पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादर पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर